

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़ (राजस्व शाखा)

-:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::-

महाप्रबंधक, कोतरे, बसंतपुर एवं पंचमो कोल परियोजना, सी०सी०एल० राँची के पत्रांक-GM(KBP)/2019/226, दिनांक-11.07.2019 के आलोक में माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा कोतरे, बसन्तपुर एवं पचण्डा में नई ओपन कास्ट प्रोजेक्ट हेतु चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि 135.34 हेक्टेयर निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र०स०	अंचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	माण्डू	कोतरे	106	01	2	2.00	गै० जंगल-झाड़ी
2	माण्डू	कोतरे	106	01	5	4.50	गै० जंगल-झाड़ी
3	माण्डू	कोतरे	106	01	21	19.75	गै० जंगल-झाड़ी
4	माण्डू	कोतरे	106	01	31	18.38	गै० जंगल-झाड़ी
5	माण्डू	कोतरे	106	01	34	7.30	गै० जंगल-झाड़ी
6	माण्डू	कोतरे	106	01	36	23.35	गै० जंगल-झाड़ी
7	माण्डू	कोतरे	106	01	37	9.28	गै० जंगल-झाड़ी
8	माण्डू	कोतरे	106	01	38	11.15	गै० जंगल-झाड़ी
9	माण्डू	कोतरे	106	01	46	26.42	गै० जंगल-झाड़ी
10	माण्डू	बसन्तपुर	105	71	86(P)	54.43	गै० जंगल-झाड़ी
11	माण्डू	बसन्तपुर	105	71	78(P)	43.21	गै० जंगल-झाड़ी
12	माण्डू	बसन्तपुर	105	71	85(P)	17.41	गै० जंगल-झाड़ी
13	माण्डू	पचण्डा	107	01	1(P)	15.23	गै० जंगल-झाड़ी
14	माण्डू	पचण्डा	107	01	190(P)	12.19	गै० जंगल-झाड़ी
15	माण्डू	पचण्डा	107	01	193(P)	24.46	गै० जंगल-झाड़ी
16	माण्डू	पचण्डा	107	01	217	10.13	गै० जंगल-झाड़ी
17	माण्डू	पचण्डा	107	01	218	23.55	गै० जंगल-झाड़ी
18	माण्डू	पचण्डा	107	01	222	5.16	गै० जंगल-झाड़ी
19	माण्डू	पचण्डा	107	01	225	5.49	गै० जंगल-झाड़ी
20	माण्डू	पचण्डा	107	01	239	1.03	गै० जंगल-झाड़ी
कुल -						334.42 Acre Or 135.34 Hec	

प्रयोक्ता एजेन्सी चिन्हित भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत विधिवत् अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना हेतु चिन्हित भूमि कुल रकबा 135.34 हे० (334.42 एकड़) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

अपर
रामगढ़

उपायुक्त,
रामगढ़।

आयुक्त,
उ०छो०प्र०, हजारीबाग।

ज्ञापक : 1471/रा०,

रामगढ़, दिनांक : 20/09/2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, माण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीब हुई / RAJIB HUI
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER
कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना
Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine
सी०सी०एल०, राँची / C.C.L., Ranchi

- प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : महाप्रबंधक, कोतरे, बसंतपुर एवं पंचमो कोल परियोजना, सी0सी0एल0 राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
रामगढ़।

अपर महाप्रबंधक,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

आयुक्त,
उ0छो0प्र0, हजारीबाग।

राजीब हुई / RAJIB HUI
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER
कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना
Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine
सी0सी0एल0, राँची / C.C.L., Ranchi